न्यायालय अंचल अधिकारी, डुमरी

विविध वाद सं0–22/2023–24

श्री सुकर मोहली **बनाम** श्री प्रेमचन्द मोहली वगैरह

आदेश की क्र0 सं0 ए0 तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश
16-04-2025		

अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी से प्राप्त पत्रांक–1166 दिनांक–16.09.2023 में श्री सुकर मोहली, पिता–स्व0 झरी मोहली, ग्राम–चेगरो, पोस्ट–चीनो, थाना–डुमरी के संलग्न आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग किया गया। जिसमें राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि मौजा–चेगरो, खाता सं0–84, प्लॉट सं0–955/1, रकबा–16.25 एकड़ के मध्ये 0.81 एकड़ गैरमजरूआ खास खाते की भूमि हैं किस्म जमीन जंगल हैं। प्रथम पक्ष सुकर मोहली पिता–स्व0 माधो मोहली उक्त भूमि के संबंध में भूदान पर्चा प्रस्तुत करते हैं, जो स्पष्ट नहीं हैं। पंजी–II के भाग संख्या–III पृष्ठ सं0–144 पर माधो मोहली एवं प्रमेश्वर मोहली के नाम से खाता सं0–84 रकबा–0.81 एकड़ की जमाबन्दी कायम हैं। वही द्वितीय पक्ष उक्त भूमि के संबंध में इकरारनामा प्रस्तुत करता हैं उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का घर भी हैं। इस तरह मामला फर्जी कागजातो का हैं। अतः दोनो पक्षो से से कागजातो की माँग कर जाँच से ही विवाद का निपटारा संभव हैं।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में की गई अनुसंशा के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस कर निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थित दर्ज कराते हुए अपना–अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से प्राप्त प्रमाणपत्र एवं वर्ष 2019–20 का ऑनलईन लगान रसीद की प्रति प्रस्तुत कर बताया गया की मौजा–चेगरो, खाता सं0–84, प्लॉट सं0–955/1, रकबा–0.81 एकड़ भूमि मेरा है। जिसका ऑनलाईन रसीद भी वर्ष 2019–20 तक निर्गत हैं।

द्वितीय पक्ष के श्री प्रेमचन्द मोहली एवं श्रीमति गुडिय देवी वगैरह की ओर से एकरारनामा वास्ते बिक्री के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया की उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पिता माधो मोहली वगैरह को बिहार भूदान के माध्यम से भूमि हासिल हैं। जिसके आधार पर हमलोगो को यह भूमि प्रथम पक्ष के श्री सुकर मोहली पिता–स्व0 माधो मोहली से क्रय किया गया हैं। जिसमें श्रीमति गुडिया देवी पति–महेन्द्र मोहली को मौजा–चेगरो, खाता सं0–84, प्लॉट सं0–955/1, रकबा–0.48 एकड़ एवं श्रीमति ललिता देवी पति–प्रेमचन्द मोहली को रकबा–0.20 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष के सुकर मोहली से प्राप्त हैं। जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष द्वारा अपने क्रय किये गये भूमि पर घर बनाया गया हैं।

——आदेश——

उपरोक्त विषयों के संबंध में उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकनोपरान्त यह प्रतित होता हैं कि मौजा–चेगरो, खाता सं0–84, प्लॉट सं0–955/1, रकबा–16.25 एकड़ के मध्ये 0.81 एकड़ गैरमजरूआ खास खाते किस्म जमीन जंगल की भूमि प्रथम पक्ष को बिहार भूदान पर्चा के तहत रकबा–0.81 एकड़ प्राप्त हुआ था। जिसके आधार पर प्रथम पक्ष के द्वारा रकबा–0.68 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के लोगो को बिक्री कर दिया हैं। चुकिं उभय पक्षो द्वारा एक ही भूमि पर अलग–अलग दस्तावेजो के आधार पर अपना–अपना दावा पेश करते है। जिससे यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित प्रतीत होता हैं। ऐसे में उभय पक्ष चाहे तो मामला को सक्षम न्यायालय में दर्ज करा कर मामले का निष्पादन करा सकते हैं। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही बंद किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2025.07.14 14:47:17 +05:30
Location: 192.168.73.188

16.04.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

16.04.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

Scanned with OKEN Scanner